

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया

पत्रांक 113 / प्रा० शि० को० गया दिनांक: 20/6/14

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

संत थामेस इंडिल ईश्वर टिक्सरक्षण, गया

विषय:- बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन—पत्र दिनांक 10/11/2011 और उसके क्रम में आपसे किये गए पत्राचार एवं विद्यालय के किए गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय संत थामेस इंडिल ईश्वरका 129 अमरपुरा, 2012A को कक्षा 01 से कक्षा सप्तम तक संचालन ईत्यु तीन वर्षों (20.06.2014 से 19.06.2017) की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:

8. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
9. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
10. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
11. कंडिका 03 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा 12 की उपधारा 02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
12. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
13. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारिक अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
14. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे।



- ix. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- x. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- xi. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- xii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रामण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- xiii. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- xiv. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 05 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
- xv. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- xvi. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. पिद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत्-

विद्यालय—परिसर का क्षेत्रफल :— 14 एकड़िमीटर

कुल निर्मित क्षेत्र :— ५

खेल के मैदान का क्षेत्र :— ५

वर्गकक्षों की कुल संख्या :— 12

प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडार कक्ष :— ०३

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—शलग शौचालय :— १२

पेयजल की सुविधा :— १५०४

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई—घर :— ०१

बाधारहित पहुँच :— ५

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण / पुस्तकायलय :— ५

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

(N) 6

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निधारित नियमों के आलाक में उपर्युक्त लेखा विवरण तेवार की जाएगी। ब्रेक लेखा विवरणी की एक इतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या G-0038 /Pvt.s/2014 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का यत्राचार करने में इस कोड को कृपया ओंकेत एवं लहूत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा समय—समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अधवा विद्यालय संचालन से संबंधित राजिनाईमें दो चूर्चक देश समाज पर निर्भत अनुदेशों का अनुपालन दिलाता के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किस प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें :

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)
गया-सह-सचिव